सत्यमेव जयते

ASHISH SOOD

MINISTER OF HOME, POWER, URBAN DEVELOPMENT, EDUCATION,
HIGHER EDUCATION, TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रिय दिल्ली वासियों,

नमस्कार,

माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर हम सभी को मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और ऊर्जा–आत्मनिर्भर बनाना है। बढ़ती खपत और प्रदूषण के बीच रुफटॉप सोलर ही वह उपाय है जो आपका बिजली बिल घटाता है और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा व सुरक्षित भविष्य देता है। आइए, अपनी छत को बिजली घर बनाकर स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं।

क्यों अपनाए रुफटॉप सोलर?

रुफटॉप सोलर अपनाने से आपका बिजली बिल शून्य हो सकता है। यह हर मौसम में बिजली पैदा करता है और एक बार का निवेश आपका पूरे 25 साल तक लाभ देता है। इसके लिए बहुत बड़ी जगह की भी जरुरत नहीं होती– केवल लगभग 80 वर्ग फुट छाया–रहित छत पर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है।

"प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना" और "दिल्ली सौर ऊर्जा नीति" के तहत दिल्लीवासियों को सोलर प्लांट पर ₹1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। उदाहरण के लिए, 3 किलोवाट का प्लांट लगभग ₹2 लाख का आता है। इसमें केंद्र से ₹78,000 और दिल्ली सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी मिलकर कुल ₹1.08 लाख हो जाती हैं। यानी उपभोक्ता को सिर्फ ₹92,000 देने होते है। जिसे आसान बैंक लोन (लगभग 6% ब्याज दर पर) से भी चुकाया जा सकता है। हाउसिंग सोसइटी (RWA/GHS) को भी ₹20,000/KW सब्सिडी मिलती है।

इसके साथ ही 5 साल तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (GBI) भी मिलती है– 3 KW तक प्रति यूनिट ₹3 और 3–10 KW तक प्रति यूनिट ₹2।

आइए, बचत का सरल हिसाब समझें–

अगर आपकी मासिक खपत 500 यूनिट है तो 3 KW सोलर सिस्टम से आपका बिजली बिल शून्य हो सकता है। इससे लगभग ₹3,000 प्रतिमाह की बचत होगी। साथ ही, 5 साल तक ₹900 प्रतिमाह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (GBI) भी मिलेगा। कुल मिलाकर 25 साल में आप लगभग ₹9 लाख तक बचा सकते हैं।

इसलिए आज ही www.pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करें, अपना अधिकृत वेंडर चुनें और अपनी बिजली कंपनी (डिस्कॉम) के टोल–फ्री नंबर पर संपर्क करें।

आइए, जिम्मेदारी और गर्व के साथ सौर ऊर्जा अपनाएं एवं दिल्ली को रोशन करें।

सादर,

भवदीय,

ashish

(आशीष सूद)
ऊर्जा मंत्री, दिल्ली

A-Wing, 7th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002
Tel. No.:23392116, 23392117 Email : min-hep@delhi.gov.in